

आरएफपी संदर्भ संख्या:-
जीईएम/2025/बी/6616710 - एनएचबी/एमआरसीपीडी/एसपीआईजी/डीओसी/2025/00002
दिनांक 27 अगस्त, 2025

हाउसिंग फाइनेंस/हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर पर केन्द्रित म्यूचुअल फंड की स्थापना के लिए सलाहकार के चयन हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध

03 सितंबर, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित बोली-पूर्व बैठक के आधार पर, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

आरएफपी का खंड	आरएफपी के अनुसार	आरएफपी में प्रस्तावित संशोधन
1. महत्वपूर्ण बोली विवरण	बोली दस्तावेज़ प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय: 17-09-2025 शाम 5 बजे	बोली दस्तावेज़ प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय: 29-09-2025 शाम 5 बजे
5. कार्य का दायरा और प्रमुख वितरण: 5.5 (ii)	परामर्शदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य के दायरे में उल्लिखित 8 महीने की अवधि के भीतर निर्दिष्ट परिणाम प्रदान करेगा तथा कार्यदिश पत्र की स्वीकृति की तिथि से शुरू होगा।	परामर्शदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य के दायरे में उल्लिखित 12 महीने की अवधि के भीतर निर्दिष्ट परिणाम प्रदान करेगा तथा कार्य, कार्यदिश पत्र की स्वीकृति की तिथि से शुरू होगा।
6. पात्रता मानदंड (बिंदु 2)	बोलीदाता के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों (पीएसई/पीएसयू) या निजी क्षेत्र (मूल कंपनी/संस्था की बैलेंस शीट का आकार कम से कम ₹10,000 करोड़ होना चाहिए) या भारत सरकार में पिछले 7 वर्षों में समान फंडों (म्यूचुअल फंड/एआईएफ/अन्य समान निवेश वाहन जैसे आरईआईटी, इनविट्स, आदि) की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता अध्ययन करने में कम से कम 1 पूर्ण असाइनमेंट का अनुभव होना चाहिए (असाइनमेंट पूरा होने की तारीख इस आरएफपी जारी होने के पिछले 7 वर्षों के भीतर होनी चाहिए)।	बोलीदाता या उसके सहयोगियों/संबद्धों के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों (पीएसई/पीएसयू) या निजी क्षेत्र (मूल कंपनी/संस्था की बैलेंस शीट का आकार कम से कम ₹1000 करोड़ होना चाहिए) या भारत सरकार में पिछले 7 वर्षों में समान फंडों (म्यूचुअल फंड/एआईएफ/अन्य समान निवेश वाहन जैसे आरईआईटी, इनविट आदि) की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता अध्ययन करने में कम से कम 1 पूर्ण असाइनमेंट का अनुभव होना चाहिए (असाइनमेंट पूरा होने की तारीख इस आरएफपी जारी होने के पिछले 7 वर्षों के भीतर होनी चाहिए)।
6. पात्रता मानदंड (बिंदु 2)	(दस्तावेजों का प्रमाण आवश्यक है/प्रस्तुत करना अनिवार्य है	(दस्तावेजों का प्रमाण आवश्यक है/प्रस्तुत करना अनिवार्य है ग्राहक के किसी अधिकृत अधिकारी से पूर्णता प्रमाणपत्र/ईमेल पुष्टिकरण या बोलीदाता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा पत्र।

आरएफपी का खंड	आरएफपी के अनुसार	आरएफपी में प्रस्तावित संशोधन
		स्व-घोषणा या ईमेल पुष्टिकरण के मामले में, बोलीदाता को विस्तृत कार्य आदेश की एक प्रति और ग्राहक की ओर से प्रमुख अधिकारी का संपर्क विवरण प्रदान करना होगा, जिनसे क्रेडेंशियल की पुष्टि के लिए संपर्क किया जा सकता है।
6. पात्रता मानदंड (बिंदु 3)	बोलीदाता के पास म्यूचुअल फंड/एआईएफ/अन्य समान निवेश माध्यमों जैसे आरईआईटी, इनविट आदि) या वित्तीय संस्थानों के 'प्रारंभिक सेट-अप' में मदद करने के लिए कम से कम 1 पूर्ण असाइनमेंट का अनुभव होना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों (पीएसई/पीएसयू) या निजी क्षेत्र (मूल कंपनी/संस्थान की बैलेंस शीट का आकार कम से कम 10,000 करोड़ रुपये होना चाहिए) या भारत सरकार में पिछले 7 वर्षों में (असाइनमेंट पूरा होने की तारीख इस आरएफपी के जारी होने के पिछले 7 वर्षों के भीतर होनी चाहिए)।	बोलीदाता या उसके सहयोगियों/संबद्धों के पास म्यूचुअल फंड/एआईएफ/अन्य समान निवेश वाहनों जैसे आरईआईटी, इनविट्स, आदि) या वित्तीय संस्थानों के 'प्रारंभिक सेट-अप' में मदद करने में कम से कम 1 पूर्ण असाइनमेंट का अनुभव होना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों (पीएसई/पीएसयू) या निजी क्षेत्र (मूल कंपनी/संस्था की बैलेंस शीट का आकार कम से कम 1,000 करोड़ होना चाहिए) या भारत सरकार में पिछले 7 वर्षों में (असाइनमेंट पूरा होने की तारीख इस आरएफपी के जारी होने के पिछले 7 वर्षों के भीतर होनी चाहिए)।
6. पात्रता मानदंड (बिंदु 3)	(दस्तावेजों का प्रमाण आवश्यक है/जमा करना अनिवार्य है) बोलीदाता को अपने लेटरहेड पर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। स्व-घोषणा के मामले में, बोलीदाता को विस्तृत कार्य आदेश की एक प्रति और ग्राहक की ओर से प्रमुख अधिकारी का संपर्क विवरण प्रदान करना होगा, जिनसे उनकी क्रेडेंशियल की पुष्टि के लिए संपर्क किया जा सकता है।	(दस्तावेजों का प्रमाण आवश्यक है/जमा करना अनिवार्य है) ग्राहक के किसी अधिकृत अधिकारी से पूर्णता प्रमाणपत्र/ईमेल पुष्टिकरण या बोलीदाता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा पत्र। स्व-घोषणा या ईमेल पुष्टिकरण के मामले में, बोलीदाता को विस्तृत कार्य आदेश की एक प्रति और ग्राहक की ओर से प्रमुख अधिकारी का संपर्क विवरण प्रदान करना होगा, जिनसे क्रेडेंशियल की पुष्टि के लिए संपर्क किया जा सकता है।
बोली मूल्यांकन (2. तकनीकी मूल्यांकन - 1. पात्रता और तकनीकी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) / सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों / निजी क्षेत्र (मूल कंपनी / संस्थान की बैलेंस शीट का आकार कम से कम ₹10,000 करोड़ होना चाहिए) के लिए म्यूचुअल फंड / एआईएफ / की स्थापना के संबंध में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का अनुभव (केवल पूर्ण परियोजनाएं)।	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) / सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों / निजी क्षेत्र (मूल कंपनी / संस्थान की बैलेंस शीट का आकार कम से कम ₹ 1,000 करोड़ होना चाहिए) के लिए म्यूचुअल फंड / एआईएफ / की स्थापना के संबंध में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का अनुभव (केवल पूर्ण परियोजनाएं)।

आरएफपी का खंड	आरएफपी के अनुसार	आरएफपी में प्रस्तावित संशोधन
मूल्यांकन) बिंदु 2		
9. वाणिज्यिक नियम और शर्तें 9.1 मूल्य (बी)	मूल्य पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए मान्य होना चाहिए, अर्थात् 8 महीने की अवधि के लिए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के बढ़ाया जा सकता है।	मूल्य पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए मान्य होना चाहिए, अर्थात् 12 महीने की अवधि के लिए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के बढ़ाया जा सकता है।
अनुलग्नक XV – सेवा स्तर समझौता - 1.3.3 अनुबंध की अवधि	इस अनुबंध के तहत कार्य के दायरे में वर्णित संपूर्ण कार्य परामर्शदाता द्वारा कार्य आदेश की स्वीकृति की तारीख से शुरू होकर 8 महीने ("अवधि") के भीतर पूरा किया जाएगा, जब तक कि इस अनुबंध के अनुसार अवधि को बढ़ाया न जाए।	इस अनुबंध के तहत कार्य के दायरे में वर्णित संपूर्ण कार्य परामर्शदाता द्वारा कार्य आदेश की स्वीकृति की तारीख से शुरू होकर 12 महीने ("अवधि") की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, जब तक कि इस अनुबंध के अनुसार अवधि को बढ़ाया न जाए।

(किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)

महाप्रबंधक
एमआरसीपीडी
दिनांक: 4 सितंबर, 2025